न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी—श्री देवी सिंह (R.A.S)

दावा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
1/522	29.10.2020	14-8-2024

उनवान

1. मु0 घप्पो बेवा भौरेलाल महाजन—मृतक
2. जगदीश प्रसाद पुत्र भौरेलाल महाजन निवासीयान ग्राम बीजवाड नरूका तहसील व जिला अलवर।
3. सीताराम पुत्र भौरेलाल।
4. मु0 कमला पुत्री भौरेलाल जाति महाजन निवासी ग्राम रैणी तहसील राजगढ जिला अलवर।
5. मु0 अंगूरी पुत्री भौरेलाल महाजन निवासी केडलगंज अलवर राज0।

वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र मनोहर लाल महाजन निवासी ग्राम बीजवाड तहसील अलवर।

प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राज0 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दीगण ने संशोधित वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि मृतक हबडूराम के दो पुत्र भोलूराम प्रतिवादी व मगोपाल हुये। रामगोपाल मृतक हो चुका है। जिसका वारिस भोरेलाल वादी है। वादी व प्रतिवादी म्बत् 2011 तक शामिल रहते थे। वो जायदाद जमीन इत्यादि सभी कुछ शामलाती थी। (इस समय वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 की एक की ही हवेली में अपने अपने हिस्से में आये हुए मकानात पर ाबिज चले आ रहे है। सम्वत् 2011 में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 के दरमियान आपसी रजामन्दी से ल व अचल सम्पत्ति का व काश्त की आराजी इत्यादि का तकासमा हुआ। वादी व प्रतिवादी म्बर– 1 के पास साबिक खसरा नम्बर 1011 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा जिसका हाल ख0 न0 2411 कबा 8 ऐयर, 2412 रकबा 79 ऐयर व साबिक खसरा नम्बर 847 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा काश्त की राजी में थे। चूंकि मुदायला नम्बर 1 बड़ा था इसलिये उसी का नाम कागजात में दर्ज होता रहा। म्वत 2011 में अलग होने के बाद से खसरा नम्बर साबिक 1011 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा जिसका ल ख० न० 2411 रकबा 8 ऐयर, 2412 रकबा 79 ऐयर वादी के हिस्से में आया और साबिक खसरा म्बर 847 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा मुदायला नम्बर 1 के हिस्से में आया और अलग अलग काबिज व धील होकर अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज चले आ रहे है। व काश्त कर रहे है। रोक्त आराजी ग्राम बीजबाड़ के बाके है जो गांव जागीर का था जागीर की तरफ से उक्त आराजी पट्टे हुआ करते थे। सम्बत् 2012 के शुरु में आराजी खसरा नम्बर साबिक 1011 का पट्टा वादी के क में है। जागीरदार महोदय द्वारा किया गया और वे ही आराजी की जमा लेते रहे है। साबिक खसरा नम्बर 847 का पट्टा प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम जारी है और वह उक्त आराजी पर काबिज है। मारे आपस में ताल्लुकात अच्छे थे इसलिये कभी कागजात माल में क्या इन्द्राजात हो रहे है इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गयी। तारीख 15 अक्टूबर सन 55 को वादी उक्त आराजी पर बतौर टीनेन्ट इन चीफ काबिज था व और राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 लागू होने पर वह उक्त साबिक

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

सरा नम्बर 1011 का खातेदार काश्तकार कानूनन हो गया। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा जो पर्चा लगानी री किया गया उसमें प्रतिवादी नम्बर 1 को बतौर खातेदार दर्ज किया व उसके आधार पर सम्वत 18 लागायत 2026 को जमाबन्दी में प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम दर्ज किया गया जो इन्द्राजात वादी खिलाफ कानूनन गलत व बेअसर है। और काबिल दुरुस्ती है। मुदायला नम्बर 1 ने वादी के कूको को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से एक बयनामा मुदायला नम्बर 2 के हक में तारीख 21.12. 72 को तहरीर कराकर सब रजिस्ट्रार महोदय मालाखेड़ा के यहां तस्दीक कराया कि जो बयनामा नम्बर 1 की जिल्द संख्या 26 में क्रम संख्या 471 के पेज संख्या 67 लागायत 68 पर दर्ज किया । है। उक्त बयनामा वादी के खिलाफ नाकाबिल पाबन्दी व बेअसर है। और इसमें वादी के हकूक यूडिस होते है। व उक्त बयनामा से वादी के हकूको पर आघात पहुंचने का अन्देशा है। मुदायला बर 1 का आराजी पर पिछले 18 वर्षो में कभी कब्जा नहीं रहा और बयनामा में कब्जा देने की बात गलत लिखाइ गई है। मुदायला नम्बर 2 उक्त बयनामा के आधार पर वादी के कब्जे काश्त में ाहमत करता है और तारीख 06.01.1973 को वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत करने के लिये । पर आया और एलानिया कहने लगा कि वह आराजी पर जबरन कब्जा करेगा व आराजी व सल को नष्ट भ्रष्ट कर देगा और आराजी को मुन्तकिल कर देगा और वादी को शान्तीपूर्वक कार्य श्तकारी नहीं करने देगा। गांव के चन्द आदमियों के बीच बचाव कर देने से मुदायला चला गया तु वह एलानिया कहता है कि आराजी पर कब्जा करेगा। मुदायला नम्बर 2 को आराजी पर रन कब्जा करने का कोई हक नहीं है परन्तु वह बाज नहीं आता। अगर वादी को आराजी से खल कर दिया और उसकी फसल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया तो वादी को ऐसा भारी नुकसान चेगा कि जिसकी क्षति पूर्ति अर्थ से नहीं हो सकेगी। प्रतिवादी नम्बर 2 अपने हक में उक्त बयनामें आधार पर ग्राम पंचायत बीजवाड़ से इन्तकाल भी मन्जूर कराने की कोशिश कर रहा है कि सका उसको कोई हक नहीं है। दावा हाजा के लिये विनायदावी सैटलमेन्ट विभाग द्वारा जो पर्चा ानी खिलाफ मौका जारी किया गया व उसके आधार पर जमाबन्दी सम्वत 2018 लागायत 2026 में द्राज हुआ पैदा हुई व विनायमुखास्मत मुदायला नम्बर 1 द्वारा जब बयनामा मुदायला नम्बर 2 के 5 में तहरीर करा दिया व तारीख 06.01.1973 की जब मुदायला नम्बर 2 के कब्जो काश्त मे ाहमत करने के लिये आया पैदा हुई। यह करार दिया जावे कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 11 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 2411 रकबा 8 ऐयर 2412 रकबा 79 ऐयर के ग्राम बीजवाड का वादी खातेदार काश्तकार है। यह करार दिया जावे कि पर्चा सैटलमेन्ट व ाबन्दी सम्बत 2018 लागायत 2026 में जो मुदायला न० 1 को बतौर खातेदार दर्ज कर दिया है व दी को बतौर शिकमी दर्ज कर दिया है वह गलत है और उक्त इन्द्राज दुरुस्त किया जाकर तन्हा दी को खातेदार दर्ज किया जावें व पर्चा लगानी भी उसी के नाम जारी किया जावे।

: करार दिया जावे कि मुदायला नम्बर 1 ने मुदायला नम्बर 2 के हक में जो बयनामा दि0 .12.72 को तहरीर कराकर मुताबिक तफसील मद न0 9 अर्जी दावा रजिस्टर्ड कराया है वह वादी खिलाफ बातिल व बेअसर नाकाबिल पाबन्दी है। मुदायला नम्बर 2 को पाबन्द किया जावे कि वह दी के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत व मदाखलत न करे, वादी के कब्जे में व शन्तिपूर्वक उपयोग ने में मजाहमत करने से बाज आवे। या दीगर मुनासिब दादरसी बता फरमायी जावे।

ा रर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण तलब किये गये। प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया संशोधित वाद पत्र का चरण संख्या एक अस्वीकार है बादी द्वारा वाद पत्र के उक्त चरण मे धारहीन बेबुनियाद गलत शजरा पेश किया है। जबकि सही शजरा इस प्रकार है।

बडूराम मृतक के भोलूराम, चिरन्जीलाल, रामगोपाल हुये। रामगोपाल के भोरेलाल हुआ।

शोधित वाद पत्र का चरण सख्यां दो में वर्णित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। यहाँ यायहित में यह कहना समीचीन है कि वादीगण द्वारा मूल याद पत्र के मीमो में अंकित प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

या एक भोलूराम पुत्र हबंडूराम महाजन या उसके विधिक वारिसान को संशोधित वाद पत्र में कार नहीं बनाया गया है। संशोधित वाद पत्र का जिमन तीन में वर्णित कथन जिस प्रकार बयान या गया अस्वीकार है। बल्कि सत्य कथन यह कि संवत 2011 में ही भौरेलाल एवं भोलूराम महाजन बटवारा हो चुका था तथा संयुक्त परिवार कि कोई कृषि भूमि नहीं थी साबिक आराजी खसरा नं० 1 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा हाल खसरा 2411 रकबा 8 ऐयर 2412 रकबा 79 ऐयर व साबिक सरा नं0 847 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम बीजवाड में स्थित आराजी का भोलूराम तन्हा काश्तकार रहा जिससे वादी का कभी कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है साथ ही वादी का यह कहना भी गलत कि प्रतिवादी नं. एक के नाम का अकंन उक्त आराजीयात के कागजात माल में (राजस्व रिकॉर्ड) ज बडा होने के कारण दर्ज होता रहा है बल्कि भोलूराम का नाम समस्त राजस्व रिकार्ड में विधि मत तरीके से पूर्व प्रविष्टियो व कब्जे के आधार पर दर्ज किया जा रहा था। संशोधित वाद पत्र का ण सं० 04 में वर्णित कथन असत्य, आधारहीन, काल्पनिक अंकित किये जाने के कारण अस्वीकार उक्त चरण में यह गलत है कि खसरा न0 1011 वादी के हिस्से में आया हो चूँकिः जब कोई कृषि सयुक्त परिवार की नही थी तो ऐसी सूरत में उसके बटॅवारे का प्रश्न ही नही था। संवत 2011 में वारा हुआ तब उसकी याददाश्त रखी गई उसकी तीन प्रति तैयार की गई। एक वादी के पास एक प्रतिवादी के पास तथा एक चिरन्जीलाल (मृतक) को दी गई। तथा उस बटवारे मे कृषि का कोई ला नही है। उक्त चरण में वर्णित वादी के समस्त कथन उससे दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित राया जाना आवश्यक है। भौरेलाल आराजी ख0न0 1011 पर कभी काबिज नही रहा ना ही भौरेलाल राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अंकन है। संशोधित वाद पत्र का चरण सं० 05 में वर्णित कथन म बीजवाड हाल तहसील मालाखेडा जागीर का गॉव था। किन्तु यह स्वीकार नहीं कि विवादग्रस्त मे के पट्टे संवत 2012 में हुऐ हो। जो सम्वंत 2012 का पट्टा बतलाया जाता है वह भी अगर वादी पास है तो वह भी फर्जी तथा पिछली तारीखो में बनवाई गई है। संशोधित वाद पत्र चरण सं० 6 वर्णित कथन जिस प्रकार बयान किया गया अस्वीकार है। वादी को यह प्रारम्भ से ही विदित था कागजात में प्रतिवादी की काश्त दर्ज चली आ रही है। किन्तु वादी द्वारा उक्त राजस्व वाद तिवादी की आराजी को हडप करने की दुर्भावनापूर्ण मंशा से बिना दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुत किया या है। संशोधित वाद पत्र चरण सं. 07 में वर्णित कथन असत्य, आधारहीन अंकित किये गये है वादी नांक 15 अक्टूम्बर 1955 यानि सम्बत 2012 में वाद ग्रस्त विवादित आराजी पर काबिज नही था। ल्कि भौरेलाल महाजन खातेदार काश्तकार के रूप में काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही ाश्त करता चला आ रहा था। जिस खातेदार काश्तकार से प्रतिवादी रामजीलाल द्वारा आराजी तनाजा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर दिनांक 21/12/72 को खरीद कर ली गई। तब से ही मजीलाल आराजी मुतनाजा पर निरंतर व बदस्तूर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। शोधित वाद पत्र के चरण सं० 08 में वर्णित कथन असत्य, आधारहीन, काल्पनिक बेजा लाभ प्राप्त रने की मंशा से अंकित किये जाने के कारण अस्वीकार है। बल्कि सत्य कथन यह कि भू– प्रबन्ध भाग द्वारा पूर्व राजस्व रिकार्ड में वर्णित प्रविष्टि/अंकन अनुसार भोलूराम पुत्र हबडूराममहाजन को ातेदार विधि सम्मत तरीके से दर्ज किया था। तथा भोलूराम विवादग्रस्त आराजी का जेली नहीं था ल्कि खातेदार काबिज काश्तकार रहा। जिसके द्वारा खातेदारी की आराजी रामजीलाल महाजन को जिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर विधी सम्मत तरीके से बेचान की गई थी। संशोधित बाद पत्र के रण सं० 9 में वर्णित कथन जिस प्रकार बयान किया अस्वीकार है। प्रतिवादी नम्बर एक के द्वारा निष्पादित बयनामे से वादी के स्वामित्व एवं हकूको पर कोई हक–हकूको व अधिकारो का कराया गया था तथा बेचान करने पर प्रतिवदी संख्या 2 रामजीलाल को कब्जा भौतिक रूप से दिया गया था।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

ो का विवादग्रस्त आराजी पर कभी भी कोई स्वामित्व व कब्जा नही रहा। जिस कारण उक्त
नामा वादी के खिलाफ नाकाबिल पाबन्दी व बेअसर नही है। संशोधित वाद पत्र के चरण सं010 में
ति कथन जिस प्रकार बयान किया अस्वीकार है। वादी द्वारा उक्त चरण में सासरा अभियचन फर्जी
आधारहीन बेजा लाभ प्राप्त करने की मंशा से अंकित किये गये हैं। जब विवादग्रस्त भूमि पर वादी
कोई कब्जा व स्वामित्व ही नही रहा तो ऐसी सूरत में वादी को रूकावट मजाहमत करने का प्रश्न
पैदा नहीं होता है। वादी ने वाद पत्र में 6/1/73 का वाक्य भी आधारहीन मनगढंत दर्ज किया
संशोधित वाद पत्र के चरण सं011 में वर्णित कथन जिस प्रकार बयान किया अस्वीकार है।
ादग्रस्त आराजी पर पूर्व में भोलूराम का कब्जा काश्त व स्वामित्व चला आ रहा था। तथा आराजी
नाजा बेचान करने के पश्चात रामजीलाल का स्वामित्व व कब्जा चला आ रहा है। तो ऐसी सूरत
विवादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।
ोधित वाद पत्र के चरण सं012 में वर्णित कथन असत्य, आधारहीन अंकित किये जाने के कारण
वीकार है। विवादग्रस्त आराजी पर ना तो कभी वादी कब्जेकाश्त रहा और ना ही मौके पर वादी ने
ई फसल बोई हुई है। तो ऐसी सूरत में वादी को किसी प्रकार से बेदखल करने का एवं हानि होने
न ही पैदा नही होता है। संशोधित वाद पत्र के चरण सं013 में वर्णित कथन असत्य, आधारहीन
केत किये जाने के कारण अस्वीकार है। मिन प्रतिवादी बयनामे व कब्जे के आधार पर उक्त आराजी
इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाने का पूर्णत अधिकारी है। जिस कारण ही राजस्व अधिकारियो व
र्मचारियों द्वारा मिन प्रतिवादी के नाम विधि सम्बत् इन्तकाल को किसी भी सक्षम अदालत द्वारा आज
क निरस्त नही किया है। संशोधित वाद पत्र के चरण सं014 में वर्णित कथन असत्य, आधारहीन
कित किये जाने के कारण अस्वीकार है। बादी को कोई विनायदावी पैदा नही होती है। पर्चा
न्दोबस्त विभाग का प्रतिवादी नम्बर एक को अर्से दराज पूर्व मिल चुका था। जिसकी पूर्ण जानकारी
दी को है तथा कब्जेकाश्त मिन (भोलूराम) प्रतिवादी सदैव से रहा है तथा बेचान के पश्चात
मजीलाल का कब्जा निरन्तर व बदस्तूर चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में दिनांक 06/01/1973
ो फर्जी तिथी दर्ज करने से कोई बिनायदावी विनायमुखासमत वादी को पैदा नही होती है। अपने
वाब के अतिरिक्त कथन मे निवेदन किया कि वाद वर्णित विवादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की
म्पत्ति नही कभी नही रही बल्कि तनहा भोलूराम पुत्र हवडूराम महाजन की सम्पत्ति थी। जिस पर
दैव से ही भोलूराम का कब्जा व काश्त रही है एवं लगान भी भोलूराम द्वारा ही अदा किया जाता
ा था इसी कम में खातेदार भोलूराम द्वारा उक्त आराजी रामजीलाल महाजन को रजिस्टर्ड विकय
त्र के आधार पर बेचान कर दी गई थी। वक्त खरीद से ही रामजीलाल महाजन आराजी मुतनाजा
र निरंतर बदस्तूर काश्त करता चला आ रहा है। वादी द्वारा तत्कालीन जागीरदार से मिल्त कर
ाद वर्णित आराजी का फर्जी व नुमाईशी पटटा पूर्व तिथियों में बनवा भी लिया हो तो उसके आधार
र बादी को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है तथा वादी उसके आधार पर दावा
ायर करने में सक्षम नही है। जब वादी एवं भोलूराम पुत्र हबडूराम का बटवारा सं. 2011 में ही हो
का था एवं दोनो पृथक–पृथक रिहायश व काश्त कर रहे थे जो भी इस बात का परिचायक है कि
विवादग्रस्त आराजी का वादी से कोई सन्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही था। अन्यथा बटवारें
के लेख में इसका अंकन जिक्र/इन्द्राज अवश्य होता। मौजूदा बाद सन 1973 से सक्षम न्यायालय में
विचाराधीन चला आ रहा है तथा मूल दाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या भोलूराम महाजन से विवादग्रस्त
आराजी रामजीलाल महाजन द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर खरीद की गई है तथा वाद के
दरमियान वादीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजी के हाल कागजात माल में अपने नाम का अंकन विधि
विरुद्ध तरीके से करा भी लिया हो तो उक्त अंकन प्रतिवादी के अधिकारो के प्रति बातिल बेअसर

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

ार शून्य निष्प्रभावी है तथा उक्त प्रविष्टि कलमजन किये जाने योग्य है। विवादग्रस्त आराजी पर
ो का कब्जा व काश्त कभी नही रहा एवं ना ही वक्त पेश किये जाने मूल वाद पत्र एवं ना ही अब
ऐसी स्थिति में वादी हुकमईम्तनाई की दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। वादी द्वारा वाद
के चरण संख्या 1 में परिवार का सजरा अरास्त्य, आधारहीन अंकित किया गया है तथा वादी द्वारा
हबडूरामजी के द्वितीय पुत्र श्री चिरजीलाल थे एवं उसके विधिक वारिसान दत्तक पुत्र मुलचन्द को
; पेश किये जाने वाद पत्र में जानबूझकर पक्षकार नही बनाया गया था। जबकि उक्त व्यक्ति सक्षम
आवश्यक पक्षकार थे। जिस कारण भी वादी का मौजूदा वाद चलने योग्य नहीं हैं। वादीगण का
ना पत्र 212 आर टी एक्ट पूर्व में सक्षम अदालत (एसीएम, एसडीओ, राजस्व अपील अधिकारी)
ा गुण अवगुण के आधार पर खारिज किया जा चुका है। वादी द्वारा संशोधित वाद पत्र में
नबूझकर भोलूराम महाजन या उसके विधिक वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है। जिस
रण वाद चलने योग्य नहीं है। मौजूदा शक्ल में दावा चलने योग्य नही है। वादी द्वारा उक्त वाद
में राज्य सरकार को पक्षकार मुकदमा बनाये बिना ही संशोधित वाद पत्र का बिना नम्बरी चरण
ात अनुतोष है। वादी उक्त्त चरण में वर्णित अनुतोष न्यायालय श्रीमान से प्राप्त करने का अधिकारी
ं है। जिस कारण वाद वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जाये।

रण मे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 13.12.2007 के अनुसार
इ इस प्रकार निर्णित किया की धप्पो बेवा भौरेलाल व अन्य प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1011 रकबा
बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम बीजावड तहसील अलवर के संबंध मे एक वाद प्रस्तुत किया। उक्त
द का निर्णय सहायक कलक्टर अलवर द्वारा दिनांक 23.12.85 को सबूत के अभाव मे खारिज कर
या गया, जिसके विरूद्ध वर्तमान प्रार्थीगण की ओर से पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दिनांक 07.01.86 को
ा हुआ, जिसे स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 23.12.85 को निरस्त कर दिनांक 21.7.87 को दावा
क्री किया, जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के यहॉ अपील की गई, जिसे निर्णय
नांक 6.5.94 द्वारा स्वीकार कर सहायक कलक्टर मुख्यालय अलवर का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.
87 को निरस्त किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 6.5.94 के
रूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील द्वारा चुनौती दी गई, जिन्होने अपने निर्णय दिनांक 6.
97 द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय
ो निरस्त कर प्रकरण सहायक कलक्टर अलवर के पास इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया गया
क वे मूल वाद मे उभय पक्ष को नए सिरे से सुनकर निर्णय पारित करें। विचारण न्यायालय के समक्ष
नांक 26.06.1997 को उपस्थित होने हेतु उभय पक्ष को पाबन्द किया गया। दिनांक 23.01.2000 को
त्रावली सहायक कलक्टर, मुख्यालय अलवर से स्थानान्तरित होकर उप जिला कलक्टर पदेन
हायक कलक्टर, अलवर के यहॉ प्राप्त हुई, जिस पर निर्णय करने से पूर्व उप जिला कलक्टर एवं
देन सहायक कलक्टर, अलवर ने यह पाया कि दावा पुराने खसरा नम्बर से है, जिनका अस्तित्व
माप्त कर नवीन खसरा नम्बर बनाए गए है और विवादग्रस्त सम्पति भूमि का विवरण अस्पष्ट है तथा
सी आधार पर वर्तमान प्रार्थीगण के दावे को लौटाए जाने का निर्णय करते हुए नवीन प्रचलित भू
बंध के अनुसार नया दावा संशोधन कर पेश करने के लिए प्रार्थीगण को स्वतन्त्र माना है। उप
जिला कलक्टर एवं पदेन सहायक कलक्टर, अलवर द्वारा उक्त आदेश दिनांक 27.01.04 को पारित
किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। है।
ार्थीगण के विद्धान् अभिभाषक का तर्क है कि सन् 1984 मे उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद मे
विचारण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी एवं राजस्व मण्डल तक सुनवाई होकर प्रकरण को
विचारण न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष को सुनने के बाद नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

ा था इस लम्बे अन्तराल के कारण सैटलमेंट ऑपरेशन के दौरान खसरा नम्बर मे परिवर्तन होना भाविक था लेकिन विचारण न्यायालय ने पूरे दावे को ही लौटाकर पुनः नया दावा लाने का जो देश पारित किया है, उससे प्रकरण मे प्रस्तुत किये गये समस्त साक्ष्यों को बेमानी करते हुये जो देश पारित किया है, वह कतई न्यायोचित नही है। विचारण न्यायालय को साबिक खसरा नम्बर एवं मान प्रचलित खसरा नम्बर के संबंध मे जांच कर रिकॉर्ड पर उलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई निर्णय पारित करना चाहिये था। अप्रार्थी के विद्धान अभिभाषक ने उप जिला कलक्टर एवं पदेन ायक कलक्टर के निर्णय का समर्थन करते हुये तर्क प्रस्तुत किया है कि वाद/प्रार्थीगण द्वारा दीर्घ य तक प्रचलित अभिलेख के अनुसार नवीन खसरा नम्बर के संबंध मे संशोधन करने एवं अभिलेख तुत करने का कोई प्रयास ही नही किया एवं इस आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दावे को टाए जाने का आदेश पारित करने मे कोई त्रुटि नही की गई है एवं उनके द्वारा पारित यह योचित आदेश है इसलिये इस निगरानी को निरस्त किया जावे।

त्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय मे अंकित किया कि विचारण न्यायालय के देश दिनांक 27.01.2004 में भी अंकित है कि वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा यह वाद सन् 1974 मे प्रस्तुत या गया, जिसमे सहायक कलक्टर अलवर द्वारा दिनांक 23.12.1985 को निर्णय पारित किया गया। नके बाद दिनांक 07.01.86 को प्रार्थीगण के पुनर्विचार प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये दावा तांक 21.07.87 को डिक्री किया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष हुई और जस्व अपील प्राधिकारी ने दिनांक 06.05.94 को अपील मे निर्णय पारित किया, जिसके विरूद्ध जस्व मण्डल तक अपील पेश की गई एवं दिनांक 06.05.97 को राजस्व मण्डल द्वारा अपील को शिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण सहायक कलक्टर अलवर के पास इस आदेश के साथ प्रेषित या गया कि वे मूल दावे मे उभयपक्ष को सुनने के बाद निर्णय पारित करे। विचारण न्यायालय ने जस्व मण्डल के निर्णय द्वारा प्रति प्रेषित किये गये। मूल वाद के गुणावगुण पर विचार करते समय ह पाया कि सन् 1984 मे प्रस्तुत किये गये मूल वाद मे अंकित किये गये विवादग्रस्त खसरा नम्बर ा अस्तित्व समाप्त होकर उनके स्थान पर नवीन खसरा नम्बर बनाये गये है। तथा इस संबंध मे नके द्वारा निर्णय करने मे जो कठिनाई प्रस्तुत हुई उसका उपचार उनके द्वारा वाद को लौटाकर या वाद प्रस्तुत करने के रूप मे किया गया जो कतई फौरी तोर पर अपनाई गई प्रक्रियॉ जान पडती । सन् 1984 से लेकर 2004 तक करीब 20 साल तक चले इस लम्बे लिटिगेशन के बाद विचारण ायालय द्वारा जो प्रक्रिया अपनाकर वाद को लौटाते हुये नया वाद प्रस्तुत करने का जो आदेश दिया या है वह न केवल पक्षकारो कोा पुनः लम्बे लिटिगेशन मे धकेलने का आदेश है बल्कि सन् 1984 से 004 तक जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो चुके है उन सभी साक्ष्यों को परोक्ष रूप से कारने का आदेश है, जो कतई न्यायसंगत प्रतीत नही होता है। यह सही है कि इन 20 वर्षो मे सन् 984 मे जो खसरो नम्बर वाद पत्र मे अंकित किये गये थे उन खसरा नम्बरान मे परिवर्तन होकर टलमेन्ट के दौरान नये खसरा नम्बरान डाल दिये गये है। जिसके संबंध मे विचारण न्यायालय को नो पक्षकारों के साक्ष्य के रूप मे मिलान क्षेत्रफल तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित करने ा मौका देकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर पुनः वाद का निर्णय पारित रना चाहिये था। यदि विचारण न्यायालय साबिक एवं नवीन खसरा नम्बर के आधार पर यह पाता है के नवीन व साबिक खसरा नम्बर का मिलान नही हो रहा है तो ऐसी स्थिति मे वादीगण को सीमित रूप से वाद को संशोधित करने एवं उक्त संशोधित वाद का संशोधित प्रत्युतर प्राप्त कर आवश्यक अतिरिक्त तनकी कायम कर पूर्व की तनकियात एवं उस पर प्राप्त साक्ष्य तथा नवीन तनकियात व साक्ष्य प्राप्त कर वाद का अंतिम रूप से निर्णय पारित करना चाहिये, जो उसने नही किया है।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

ोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार करते हुये उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
यक कलक्टर अलवर का निर्णय दिनांक 27.01.2004 निरस्त करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय
इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वो राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.05.97 मे
गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुये साक्षिक एवं नये खसरों के बाबत इस निर्णय मे
ई गई उपरोक्त प्रक्रिया और निर्देशों का पालन करते हुये अंतिम रूप से वाद का निर्णय पारित
े के आदेश दिये है।

ने उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील वादी ने अपनी बहस मे कथन किया की वाद मे साइटेशन,
यतनामा पेश किया। जिसकी प्रति. वकील ने नकल देने की मांग की। हवरूराम मृतक के दो
के थे। एक का नाम भोलू दूसरे का नाम रामगोपाल था। रामगोपाल की मृत्यु के बाद उसके
सान भौरेलाल, भोलूराम जो दावा मे प्रतिवादी थे। ये बात सही है कि सम्वत 2011 मे ये लोग
मेल रहते थे। दोनो के रहने का मकान शामलाती था। 2011 मे ही वादी एवं प्रतिवादी मे मौखिक
ासमा हो गया था। आराजी खसरा नम्बर 1011 रकबा 3.09 बीघा वादी भौरेलाल के हि0 मे आ
था। आराजी खसरा नम्बर 847 रकबा 3–10 बीघा भोलूराम प्रति0 के हिस्से मे दे दिया था।
न0 1011 रकबा 3.09 बीघा वादी के लिये 847 ख0न0 रकबा 3–10 बीघा प्रतिवादी के लिये मेन
ारे मे आये थे। दोनो अपनी दो जगह पर काबिज थे। कागजात मे भोलूराम का नाम ही दोनो
ह खसरा नम्बर मे चलता रहा। परन्तु दोनो अपने दो दो खसरा नम्बर पर काबिज काश्तकार
तेदारी करते रहे। ये गांव जागीरी का था। जगीरदार ने ऐसा बॅटवारा करा दिया बन्दोबस्त के
य पर प्रतिवादी तो खातेदार हो गया और वादी शिकमी खातेदार बना। इसमे जो विवाद बना वह
ोबस्त के समय पर बना। ख0न0 1011 भोलूराम के नाम दर्ज हो गया। और ख0न0 847 पूर्व से
इसके नाम दर्ज था। और भोलूराम से रामजीलाल ने रजिस्ट्री करा ली जबकि भोलूराम का
जीलाल पोता है। भोलूराम के तीन पुत्र थे। मूलचन्द, मनोहर लाल, एवं राधेश्याम रामजीलाल
ोहरलाल का पुत्र है। ये दोनो खसरा नम्बर की जमीन पैत्रिक दादालाई की जमीन है तो मुन्क
लाल ओर मेरे बेटे का जायेगे। मुझे व मेरे बेटो को तो पैत्रिक जमीन मे से हिस्सा ही नही मिला।
से यह साबित हो रहा है कि भौलूराम के नाम जो ख0न0 है उनका इन्द्राज बन्दोबस्त मय गलत
रहा है। इसकी जानकारी भौलूराम एवं रामजीलाल को भी थी। इसलिये उसने जीते जी रजिस्ट्री
ने पोते रामजीलाल को करा दी। जब हमे इसकी जानकारी मिली तो हम न्यायालय सहायक
क्टर अलवर के पहुॅचे। हमने दावा पेश किया। वादी ने उस समय पीडब्यू प्रथम, पीडब्यू द्वितीय
ादीश प्रसाद एवं महेश चन्द के बयान भी करवाये थे। जो फाईल मे मौजूद है। नकल पर्चा
लमेन्ट भी फाईल मे मैने पेश किया है। नकल जमाबन्दी सम्बत् 2014, 2018, 2026 खसरा
दावरी सं0 2022, 2025, 2028 का रिकॉर्ड पूर्व से ही पत्रावली मे मौजूद है। सम्बत् 2014 की
ाबन्दी का आप अवलोकन करोगे तो उसमे मुझे शिकमी काश्तकार घोषित किया हुआ है। जिसमे
ता 2078 मे भोलूराम को खातेदार, भौरेलाल पुत्र रामगोपाल महाजन को शिकमी काश्तकार लिखा
ा है। सम्बत 2014 भू–प्रबन्ध हुआ था। जिसमे पूर्व मे एन्ट्री का रिप्रेजेन्टेशन किया गया है। जो कि
नूनन सही है। सहायक कलक्टर अलवर के यहॉ से जो निर्णय एवं डिक्री हुई थी उसमे मुझे
राजी खसरा नम्बर 1011 का मालिक घोषित किया। और उसका मेरा इन्तकाल दर्ज हुआ है। और
स्तूर आज तक मेरा रिकॉर्ड मे नाम चला आ रहा है। उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी
लवर के यहॉ हुई। राजस्व अपील अधिकारी की अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे की
र राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से रिमान्ड होकर पत्रावली उपखण्ड न्यायालय मालाखेडा मे

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

है। मेरा न्यायालय से निवेदन है कि हम हबडूराम के वारीसान है। भोलाराम, भौरेलाल और के एक–एक खसर नम्बर है। इनके अलावा और कोई प्रोपर्टी उनकी नही है।

ाल प्रतिवादी ने अपनी बहस मे कथन किया की वादी का कथन है कि मौके पर प्रतिवादी का जा है। और राजस्व रिकॉर्ड मे नाम वादी का चला आ रहा है। जिसको दोनो पक्ष स्वीकार कर रहे इन्होने दावा पेश किया कि दो आराजी खसरा नम्बर 1011 रकबा 3.09 बीघा जिसका हाल खसरा र 2411 रकबा 0.08 ऐयर, 2412 रकबा 79 ऐयर, जिसमे इसका कहना है कि वादी को सम्वत 8 लगा0 2026 मे वादी को बतौर शिकमी दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जावे। और ी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जो रिकॉर्ड भोलूराम के नाम गलत दर्ज कर दिया ा। और जो बयनामा इनकी प्रेयर 21.12.2002 को दिखाया है। उसको वादी के खिलाफ वातिल एंव सर किया जावे। वादी ने अपनी प्रेयर मे 21.12.2002 को हुये बयनामा को वादी के खिलाफ वातिल सर नाकाबिल पाबन्दी कराने का दावा किया है। नाकि 21.12.1972 को नाकि 19.12.1972 को तेल बेअसर कराने का दावा किया है। मेरा 21.12.2002 को बयनामा नही हुआ। मेरा बयनामा 21. 1972 है। मेरे लायक दोस्त कहते है कि वादी एवं प्रतिवादी ने जिसमे खरीददार भौलूराम है सम्बत 11 तक साथ रहे है और सम्बत 2011 मे ही अलग–अलग हो गये थे। वादी ने अपने दावे मे ाकार किया है। भौलूराम वो है जिससे रामजीलाल ने खरीदा है। जिम्मन नं0 4 मे भी लिखा है 11 मे अलग हो गये। वादी का स्वीकार कथन है सम्बत 2011 के बाद कोई सम्पति भोलूराम के म आती है जो बेचान कर्ता है। तो उसका अकेला मालिक भोलूराम ही रहेगा। जब अकेले मालिक लूराम रहेगा तो वह बेचान के लिये स्वतन्त्र रहेगा। इन्होने दावे मे वर्ष 1955 मे प्रतिवादी मे लूराम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया लिखा है। जबकि भोलूराम को संशोधित वाद मे पक्षकार नही ाया। जबकि आगे उसको प्रतिवादी नं0 1 संबोधित किया जा रहा है। और रामजीलाल को तेवादी नं0 2 संबोधित किया जा रहा है। और नाही भोलूराम के वारिसो को संशोधित वाद मे कार बनाया है। इस आधार पर दावा प्रथम दृष्टया ही अबेट हो चुका है। वादी ने अपने संशोधित वे के जिम्मन नं0 5 मे सम्बत 2012 मे खसरा नं0 1011 का पट्टा अपने नाम होने का कथन किया । लेकिन पत्रावली मे आज तक ऐसा कोई पट्टा पेश नही किया जो कथन झूँठे दर्ज किये है। ना खसरा नम्बर 1011 का वादी के नाम कोई पट्टा हुआ है और नाही उक्त भूमि पर ये लोग ाबिज रहे है। नाही भौरेलाल जो वादी पिता था उसके नाम कभी कोई रिकॉर्ड रहा है। इनका हना है कि हमे रिकॉर्ड की कोई जानकारी नही थी। जबकि इनको पूर्व से ही जानकारी थी। उक्त राजी भोलूराम के नाम दर्ज है। यह सही है कि ग्राम बीजवाड जागीर का गॉव है। जिसके सम्बत 12 मे कोई पट्टे नही हुये थे। जबकि उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ क्त समय परचा भू प्रबन्ध एवं खतौनी बन्दोबस्त सम्बत 2014 मे केवल मात्र भोलूराम पुत्र हबडूराम नाम दर्ज है। जिसका प्रथम डी–1 जिससे स्पष्ट लिखा है कि रघुवीर सिंह ने उक्त आराजी लूराम के नाम की है। 847 ओर 1011 इसी के नाम थे। इससे स्पष्ट लिखा है कि इसमे ना तो वे कमी या अन्य कुछ दर्ज है। इस रिकॉर्ड के अनुसार मात्र भोलूराम काश्तकार है। इनका कहना है ; एक का पट्टा हमारे नाम हुआ है और दूसरे का पट्टा भोलूराम के नाम हुआ। ये उक्त आराजी ; संबंध मे प्रथम दस्तावेज है। रघुवीर की तो बीजवाड की समस्त आराजी थी। जिसमे दोनो खसरा म्बर 1011, 847 भोलूराम के नाम किये गये थे। जिसका अन्य किसी से कोई लेना देना नही है। जिसका नामान्तकरण प्रदर्श डी–द्वितीय भोलूराम से रामजीलाल के नाम आई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम 1955 के आधार पर जब एक्ट लागू हुआ उस समय काबिज खातेदार काश्तकार भोलूराम था। जो वाद मे भी काबिजी रहा उसी के आधार पर भोलूराम ने उक्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

बयनामा 21.12.1972 को रामजीलाल के नाम तकमील कर उप पंजीयक मालाखेडा मे पंजीबद्ध
ाया था। जिसका इन्तकाल भी रामजीलाल के नाम दर्ज हो चुका है। जो कि इन्तकाल सं0 163
ांक 20.01.1973 ग्राम पंचायत बीजवाड नरूका द्वारा प्रतिवादी रामजीलाल के पक्ष मे सदभावी क्रेता
ी के कारण दर्ज किया गया। जो बयनामा इन्तकाल आज तक प्रभावी है। जिसको किसी भी सक्षम
ालत द्वारा निरस्त नही किया गया है। जिस आराजी से वादी का कोई लेना देना कभी रहा नही।
नूराम खातेदार काश्तकार होने के आधार पर ही सम्वत 2018 लगा0 2026 की जमाबन्दी मे नाम
ई किया गया जो सही दर्ज किया गया। जो किसी भी प्रकार से कानूनन गलत नही है। और वक्त
ीद से ही रामजीलाल उक्त आराजी काबिज चला आ रहा है। इन्होने दावे के साथ एक टीआई
र्थना पत्र पेश किया जो वादी का कब्जा नही होने के कारण 16.09.2002 को खारिज किया गया।
सकी अपील भी खारिज हुई। बाद मे हमने एक टीआई प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसको वादीगण
कॉर्ड मे नाम होने के कारण बेचना चाह रहे है। जिसमे प्रतिवादी रामजीलाल का टीआई प्रार्थना
ीकार कर 10.10.2013 को वादीगण को पाबन्द करने के लिये आदेश जारी किये। उक्त आदेश को
ालत श्रीमान द्वारा 10.05.2018 को कन्फर्म करने के आदेश जारी किये गये। जो स्टे आज तक
री है। वादी ने जो 06.01.1973 की घटना दर्ज कराई व झूंठी दर्ज कराई है। वादीगण द्वारा
दोबस्त सम्बत 2020 जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय राजस्व रिकॉर्ड सम्वत
12 लगा0 2018 मे वर्णित प्रविष्टियो को भी साबित नही किया। इन्होने उक्त प्रकरण में में प्रतिवादी
लूराम का नाम कलमजन करवाकर अपने नाम कराने के लिये दावा किया है जो गलत है। दुरूस्ती
ा दावा तब होता है जब पहले रिकार्ड में उसका नाम आया हो ओर बाद में उसका नाम किसी
ारण से मिस हुआ हो तभी दुरूस्ती का दावा पेश किया जाता है। जब शुरू से ही वादीगण का
ोई नाम नही है तो दुरूस्त होने का दावा करने का कोई सवाल नही है। दावा में 1 से 3 तक की
नकी है। जो उनको साबित करनी थी व तनकी संख्या 4, 5 को साबित करना था। तनकी नम्बर 4
लिये मैनें टीआई आदेश की प्रति पेश की है। जब मैने टीआई प्राप्त किया तनकी नम्बर 5 मैने
नकी नम्बर 5 को बखूबी साबित किया है। इन्होनें अपनी लिखित बहस मे कथन किया है कि
तिवादी रामजीलाल के खेत से मिटटी उठाई जिसका हमें मुआवजा मिला है। यह कथन असत्य है
ि आज तक ऐसा कोई दस्तावेजात पत्रावली में नही है। मैने अपने दर्जे के सपोट में डीडब्ल्यू–1
मजीलाल, डीडब्ल्यू 2 रत्तीराम डीडब्ल्यू 3 सुरेश शर्मा के बयान लेखबद्ध कराये है। ओर प्रतिवादी
ारा अपने वाद पत्र के समर्थन मे सेटिलमेंट पर्चा, विक्रयपत्र, नामान्तकरण, जमाबन्दी संवत 2014
ालान क्षेत्रफल जमाबन्दी संवत 2034, खसरा गिरदावरी पेश की है। ओर कब्जा के समर्थन मे मैनें
ती ठेके पर या बटाई पर कराई कागजात डीडब्ल्यू 7, डीडब्ल्यू 8, डीडब्ल्यू 9, डीडब्ल्यू 10 प्रदर्श
श किये है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। एवं मुताबिक
दालत आदेश राजस्व अपील अधिकारी एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अनुसार उक्त
ाराजी के रिकार्डेड खातेदार प्रतिवादी रामजीलाल है। इन्होने वसीयत पेश की है। वसीयत जब
ंखि गई तब उस समय वसीयतकर्ता अदालती आदेश के अनुसार रिकार्डेड मालिक नही था। उक्त
सीयत महज प्रतिवादी रामजीलाल को परेशान करने के लिये पेश की गई है। समस्त बहस का सार
श यह है कि सम्बत 2011 मे जब हम अलग हो गये उसके बाद कोई सम्पत्ति भोलूराम के नाम
ाती है तो उसमे प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है। तो भालूराम उसका मालिक है। उनका
दावा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

रिबटल वादी–मेरे लायक दोस्त ने पहली बार यह कहा कि कब्जा प्रतिवादी के पास है। जबकि वादी
के पास नही है। इसके संबंध मे कोई भी दस्तावेज पत्रावली मे संलग्न नही है। आराजी खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

1 रकबा 3–19 बीघा जिसका हाल ख0न0 2411 एवं 2412 है। इसी के पूर्व ख0न0 847 रकबा
10 बीघा बार–बार ये कथन कर रहे है कि भोलूराम के नाम था और हम भी यही कह रहे है कि
लूराम के नाम था। क्योकि भोलूराम हनजूराम का बडा लडका था। जागीरदार जिसको भी भूमि देते
रिवार के एक ही सदस्य के नाम करते थे। इसलिये जमीन भोलूराम के नाम की गई थी। ख0न0
1 पर भोरेलाल का कब्जा था। यह बात सही है कि सम्वत 2011 मे हम शामिल रहते थे। जब
खसरा नम्बर 1011 को वो रहे थे, जोत रहे थे तभी हम शिकमी काश्तकार कहलाये जो विक्रम
वत 2012 से 2016 की जमाबन्दी शिकमी काश्तकार दर्ज है। दावा तो पेश हुआ है। जो पहले पेश
ा है वह मूल दावा है। जबसे मेरा इन्तकाल हुआ तब से मै रिकार्डेड खातेदार हूँ। उन्होने कहा कि
लूराम को पक्षकार नही बनाया है। भोलूराम तो मूल दावे मे पक्षकार था। पट्टो की बात कर रहे है
उन्होने कोई पत्रावली पेश नही की है। इन्होने कहा कि इनको पूर्व मे जानकारी थी जबकि हमको
मे जानकारी नही थी। पूर्व मे जानकारी होती तो हम ऐतराज करते। डी–3 प्रदर्श–3 पर पाचवे
दु मे भोरेलाल पुत्र रामजीलाल शिकमी काश्तकार दर्ज है। टीआई प्रार्थना पत्र मे कमिश्नर की
ोर्ट प्राप्त नही की गई। जो पत्रावली मे साक्ष्य के रूप मे नही है। भोलूराम का नाम कलमजन
ाने के लिये ये आये थे जबकि हमे न्यायालय मे शिकमी काश्तकार होने नाते आना चाहिये था।
जस्व अपील अधिकारी के निर्णय, सहायक कलक्टर का निर्णय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का
र्णय पत्रावली पर उपलब्ध है। अगर आज हम दर्ज रिकॉर्ड हैलेकिन हमारे विरूद्ध ऐसा कोई निर्णय
सी न्यायालय ने नही किया। मेरा न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि मेरा दावा डिक्री किया जावे।
ो खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। शिकमी काश्तकार हूँ। मेरा हक है। इस सम्बन्ध मे मै
ायिक द्रष्टान्त पेश कर दूगां।

मने दोनो पक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगण के तर्क सुने। पीडब्ल्यू प्रथम–जगदीश प्रसाद, पीडब्ल्यू
तीय–महेश चन्द, डीडब्ल्यू प्रथम–रामजीलाल, डीडब्ल्यू द्वितीय–रत्तीराम, डीडब्ल्यू 3–सुरेश शर्मा
दर्श 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 का अध्ययन मनन किया तथा प्रकरण से संबंधित पत्रावली
ा गहनता से अवलोकन किया।

करण संक्षेप में इस प्रकार है कि वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा यह वाद सन 1984 मे प्रस्तुत किया गया,
समे सहायक कलक्टर अलवर द्वारा दिनांक 23.12.85 को निर्णय पारित किया गया। उसके बाद
नांक 07.01.86 को प्रार्थीगण के पुनर्विचार प्रार्थना पत्र को स्पीकार करते हुये दावा दिनांक 21.07.87
ो डिक्री किया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष हुई। और अपील प्राधिकारी
दिनांक 06.05.94 को अपील मे निर्णय पारित किया, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल तक अपील पेश
ो गई एवं दिनांक 06.05.97 को राजस्व मण्डल द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर
करण सहायक कलक्टर अलवर के पास इस आदेश के साथ प्रेषित किया गया कि वे मूल दावे मे
मयपक्ष को सुनने के बाद निर्णय पारित करे। विचारण न्यायालय ने राजस्व मण्डल के निर्णय द्वारा
ते प्रेषित किये गये मूल वाद के गुणावगुण पर विचार करते समय यह पाया कि सन 1984 मे प्रस्तुत
किये गये मूल वाद मे अंकित किये विवादग्रस्त खसरा नम्बर का अस्तित्व समाप्त होकर उनके स्थान
र नवीन खसरा नम्बर बनाये गए है तथा इस संबंध मे उनके द्वारा निर्णय करने मे जो कठिनाई
स्तुत हुई उसका उपचार उनके द्वारा वाद को लौटाकर नया वाद प्रस्तुत करने के रूप किया गया
जो कतई फौरी तोर पर अपनाई गई प्रक्रिया जान पडती है। सन 1984 से लेकर 2004 तक करीब
20 साल तक चले इस लम्बे लिटिगेशन के बाद विचारण न्यायालय द्वारा जो प्रक्रिया अपनाकर वाद
को लौटाते हुए नए वाद प्रस्तुत करने का जो आदेश दिया गया है वह न केवल पक्षकारो को पुनः

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

लिटिगेशन मे धकेलने का आदेश है। बल्कि सन् 1984 से 2004 तक जो साक्ष्य न्यायालय के
ष प्रस्तुत हो चुके है। उन सभी साक्ष्यों को परोक्ष रूप से नकारने का आदेश है , जो कतई
प्रसंगत प्रतीत नही होता है। यह सही है कि इन 20 वर्षों मे सन 1984 मे जो खसरो नम्बर वाद
मे अंकित किये गये थे उन खसरा नम्बरान मे परिवर्तन होकर सैटलमेन्ट के दौरान नए खसरा
रान डाल दिये गये है। जिनके संबंध मे विचारण न्यायालय को दोनो पक्षकारो के साक्ष्य के रूप में
ान क्षेत्रफल तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्यो द्वारा प्रमाणित करने का मौका देकर पत्रावली पर
लब्ध साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर पुनः वाद का निर्णय पारित करना चाहिये था। यदि
ारण न्यायालय साबिक एवं नवीन खसरा नम्बर के आधार पर यह पाता है कि नवीन व साबिक
सरा नम्बर का मिलान नही हो रहा है तो ऐसी स्थिति मे वादीगण को सीमित रूप से वाद को
ोधित करने एवं उक्त संशोधित वाद का संशोधित प्रत्युत्तर प्राप्त कर आवश्यक अतिरिक्त तनकी
ग्रम कर पूर्व की तनकीयात एवं उस पर प्राप्त साक्ष्य तथा नवीन तनकीयात व साक्ष्य प्राप्त कर वाद
अन्तिम रूप से निर्णय पारित करना चाहिए, जो उसने नही किया है।

रोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप राजस्व मण्डल अजमेर ने निगरानी/टि.ए/आईडीनं0
76/2004/अलवर निर्णय दिनांक 13.12.07 मे उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
लवर का निर्णय दिनांक 27.01.2004 निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के
थ भेजा कि वो राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.05.97 मे दिये गये निर्देशो की पालना
निश्चित करते हुए साबिक एवं नए खसरो के बाबत इस निर्णय मे बताई गई उपरोक्त प्रक्रिया और
र्देशों का पालन करते हुए अन्तिम रूप से वाद का निर्णय पारित करे। दोनो पक्षकार विचारण
ायालय के समक्ष दिनांक 19.02.08 को सुनवाई हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित हो।

नांक 14.02.17 को वादी ने संशोधित वाद पत्र पेश किया जिसमे आराजी साबिक ख0न0 1011
कबा 3 बीघा 9 बिस्वा जिसका हाल ख0न0 2411 रकबा 8 ऐयर, 2412 रकबा 79 ऐयर, वाके ग्राम
जवाड तहसील अलवर का खातेदार काश्तकार वादी है। पर्चा सैटिलमेन्ट जमाबन्दी सम्बत् 2018
गा0 2026 मे जो प्रतिवादी रामजीलाल को बतौर खातेदार दर्ज कर दिया है व वादी को बतौर
कमी दर्ज कर दिया है वह गलत है। प्रतिवादी नं0 1 ने प्रतिवादी नं0 2 के ह कमे जो बयनामा
नांक 21.12.72 को रजिस्टर्ड कराया है वह वादी के खिलाफ बातिल व बेअसर है।

नांक 14.02.17 को संशोधित वाद पत्र का जवाब पेश किया जिसमे वादी के शजरा को गलत
ताया। वादीगण द्वारा वाद पत्र के मीमो मे अंकित प्रतिवादी स0 1 भोलूराम पुत्र हबडूराम महाजन या
सके विधिक वारिसान को वाद पत्र मे पक्षकार नही बनाया है। वादी दिनांक 15. अक्टूबर 1955
नि सम्बत 2012 मे वादग्रस्त विवादित आराजी पर काबिज नही था। भोरेलाल महाजन खातेदार
श्तकार था जिसमसे प्रतिवादी रामजीलाल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक
.12.1972 को खरीद की गई तब से रामजीलाल का कब्जा काश्त है। जिसका इन्तकाल सन 1987
दर्ज किया जा चुका है, उक्त इन्तकाल को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा आज तक निरस्त नही
या गया है। वादीगण का प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट पूर्व मे सक्षम अदालत द्वारा गुण–अवगुण के
धार पर खारिज किया जा चुका है।

दिनांक 22.01.2020 को तनकी कायम की गई। वादी द्वारा जगदीश पुत्र भोरेलाल के बयान गवाह के
रूप मे कराये गये। प्रतिवादी द्वारा सीताराम, सुरेश शर्मा के गवाह के रूप मे बयान करवायें।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

ष्ठी नं0–1 आया ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा मे स्थित विवादित आराजी ख0न0 साबिक 1 रकबा 3.09 बीघा हाल ख0न0 2411 रकबा 0.08 है0, ख0न0 2412 रकबा 0.79 है0 का ीगण खातेदार काश्तकार है व पर्चा सैटलमेन्ट व जमाबन्दी सम्वत 2018 लगा0 2026 मे जो यला नं0 1 को बतौर खातेदार शिकमी दर्ज किया इन्द्राज गलत है व वादीगण उक्त इन्द्राज रस्त करवाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अधिकारी है। वादी इस तनकी को साबित ने का भार वादीगण पर है।

र्श–1 पर्चा चकबन्दी सैटिलमेन्ट डिपार्टमेन्ट के ख0न0 1011 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा पर कृषक ूराम वल्द हबडूराम जाति महाजन मु0 6 साल दर्ज रिकॉर्ड है जिसमे नाम उपभोक्ता के रूप मे रघुवीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह ठाकुर नरूका सा0 देह दर्ज रिकॉर्ड है।

र्श–2 मिसल बस्त 2014 पर कृषक के रूप मे भौलूराम पुत्र हबडूराम जाति महाजन सा0 देह मु0 साल ख0न0 847 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 1011 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है।

र्श–3 जमाबन्दी सम्बत 2018 से 2022 मे कृषक भौलू मुन्दर्जे खाता नम्बर 278 खातेदार मार्फत ा पुत्र रामगोपाल महाजन सा0 देह शिकमी सा0 ख0न0 1011 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड

र्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2026 पर भोलू पुत्र हबडूराम जाति महाजन सा0 देह खातेदार, ख0न0 847 ृबा 3 बीघा 10 बिस्वा ख0न0 1011 पर भोलू मुन्दर्जे खाता नं0 258 खातेदार मार्फत भोरा पुत्र नगोपाल महाजन दर्ज रिकॉर्ड है।

र्श–5 नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2023 से 2025 मे भोलू खातेदार मार्फत भौरा पुत्र रामगोपाल ाजन सा0 देह दर्ज रिकॉर्ड है ख0न0 1011 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा।

र्श–6 खसरा गिरदावरी सम्बत 2025 से 2029 की खसरा गिरदावरी मे जगदीश पुत्र भौरेलाल ाजन सा0 देह ख0न0 1011 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा पर दर्ज है।

र्श–7 खसरा गिरदावरी दिनांक 23.12.1972 सम्बत सम्बत 2023, ख0न0 1011 रकबा 3 बीघा 9 स्वा पर भोलूराम पि0 हबडूराम महाजन सा0 देह खातेदार मार्फत भोरा पि0 रामगोपाल महाजन कमी दर्ज है।

र्श–8 ढालबाछ सम्बत 2028 खसरा 1011 पर भौरेलाल पुत्र रामगोपाल दर्ज है और नोट मे गदीश पुत्र श्री भोरेलाल महाजन साकिन बीजवाड को हस्वव्यवस्थ उपरान्त ले नम्बर दिया गया है केत है।

र्श–9 भू प्रबन्ध पर्चा लगान सम्बत 2014 से 2033 तक खाता नम्बर 274 मे नाम भोक्ता रघुवीर ंह, कल्याण सिंह ठाकुर नरूका सा0 देह एवं नाम कृषक भोलू पुत्र हबडूराम महाजन सा0 देह के 0न0 847 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 1011 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 घा 19 बिस्वा दर्ज है।

दर्श–10 खसरा गिरदावरी सम्बत 2014–15 मे भूमिधारी श्री रघुवीर सिंह उप कृषक भोलू खसरा नं0 847 कॉलम सं0 40 मे भौरा पुत्र रामगोपाल महाजन शिकमी दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

ि–11 नकल बयनामा दिनांक 20.12.1972 प्रदर्श 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के राजस्व र्डि के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा जो शजरा पेश किया है और प्रतिवादी उस शजरे पर आपत्ति की गई। उभयपक्ष की कथनो के आधार पर शजरा निम्न प्रकार बनता

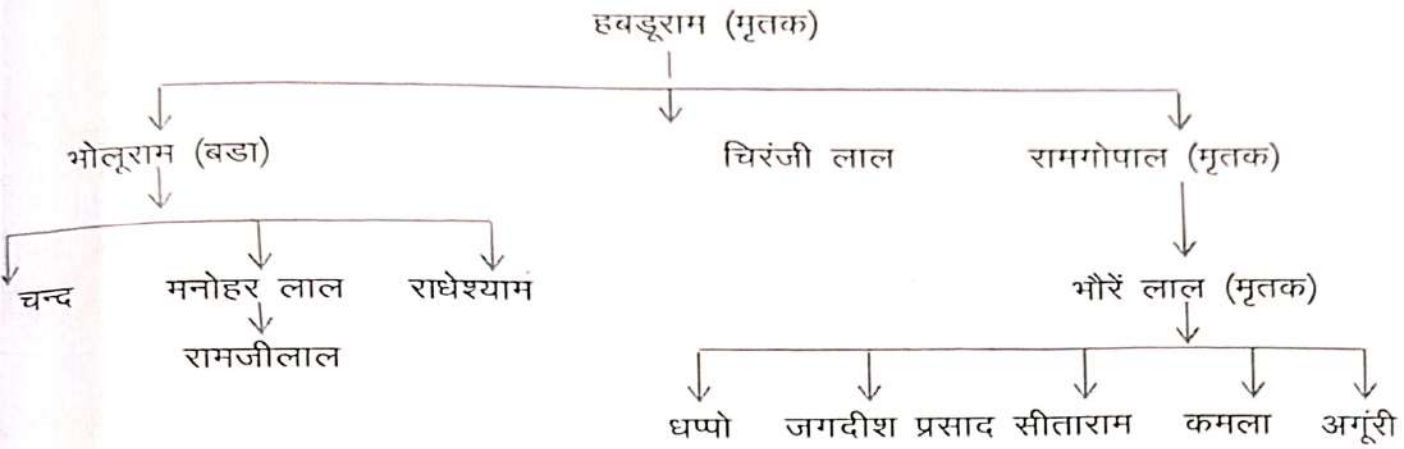

ी ने ख0न0 1011 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा को पैत्रिक भूमि बताया है जो उसे बटवारे मे प्राप्त हुई। दी एवं प्रतिवादीगण के पिता व दादा हबडूराम थे जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कोई भूमि ी है। खसरा गिरदावरी सम्बत 2012 के कॉलम नं0 6 मे भोलू पुत्र हबडूराम अकेले का नाम अंकित वादीगण द्वारा ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित हो कि वादित आराजी ख0न0 1011 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा पूर्व मे वादी के दादा हबडूराम के नाम दर्ज र्ड रहा हो। वादीगण द्वारा इस संबंध मे कोई तकासमा का दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। वादी काश्त सर्वप्रथम 2015 मे शिकमी काश्तकार की हैसियत से अवश्य अंकित की गई है। लेकिन दोबस्त जो सम्बत 2014 मे हुआ उस के पूर्व प्रविष्टि की पुनरावृति है जमाबन्दी सम्बत 2018 से 22, जमाबन्दी सम्बत 2026 पर भी कृषक का नाम भोलू पुत्र हबडूराम है। भौरा पुत्र रामगोपाल कमी काश्तकार दर्ज है। अतः सबूत के अभाव मे पर्चा बन्दोबस्त व जमाबन्दी सम्बत 2018, 2026 द्राज दुरूस्ती स्वीकार योग्य नही ठहरती है। तनकी सं0 1 जिसके साबित करने का भार वादी पर विरूद्ध वादी प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित की जानी है।

की सं0 2– आया दिनांक 21.12.1972 को प्रतिवादी नं0 1 के द्वारा प्रतिवादी नं0 2 के हक मे या बयनामा वादीगण के खिलाफ बातिल एवं बेअसर है।

––वादी

र्श–11 पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.12.1972 को भोलूराम पुत्र हबडूराम महाजन बीजवाड रूका ने ख0न0 1011 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल के हकूक खातेदारी 1500 रूपये श्री रामजीलाल पुत्र मनोहरलाल महाजन वासी बीजवाड नरूका को बय करके कब्जा सम्भला या। उक्त बयनामा को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। रजिस्ट्री एक स्तावेज है जो विधिक रूप से साक्ष्य मे गवाह है एवं प्रमाणित दस्तावेज है। अतः तनकी सं0 2 भी रूद्ध वादीगण प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

संo 3– आया दिनांक 06.01.1973 को प्रतिवादी नं0 2 द्वारा वादीगण के पिता/पति को ेत आराजी के मौके पर दी गई धमकी के कारण वादीगण, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से करवाने का अधिकारी है।

––वादी

पक्षकारान ने वर्ष 1974 से विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे वाद विचाराधीन रहा है। वादकरण न हो सकता है लेकिन तनकी सं0 1 व 2 विरूद्ध वादीगण प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णीत की चुकी दी स्वत घोषणा को सिद्ध करने मे असफल रहा है अतः स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को द कराने का अधिकारी नही है। तनकी सं0 3 भी विरूद्ध वादीगण निर्णीत की जाती है।

ी सं0 4– आया कि विवादित आराजी का भोलूराम तन्हा काश्तकार रहा एवं वादी का आराजी से सम्बन्ध सरोकार नही रहा है।

––प्रतिवादी

बन्दी सम्बत 2062–2065 खाता सं0 223 के ख0न0 2411, 2412 धप्पो बेवा भोरेलाल जाति जन जगदीश प्रसाद व घीसाराम जाति महाजन हर तीन समान मात्रा सा देह खातेदार दर्ज र्ड है।

ी–डी–1 खतौनी बन्दोबस्त

ी–डी–2 नामान्तकरण सं0 163 भोलू पुत्र हबडूराम महाजन से ख0न0 1011 रकबा 3 बीघा 9 ा जरिये बयनामा रजिस्टर्ड 471 दिनांक 21.12.1972 को रामजीलाल पुत्र मनोहरलाल कोम जन के दर्ज रिकॉर्ड हुआ है।

र्ग–डी–3 खसरा गिरदावरी सम्बत 2014 से 2020 ख0न0 1011 भोलू वशराह दर्ज है

र्ग–डी–3 जमाबन्दी सम्बत 2034 से 2036 मे ख0न0 1011 रामजीलाल पुत्र मनोहरलाल सा0 देह तेदार मार्फत भौरा पुत्र रामजीलाल महाजन सा0 देह शिकमी दर्ज रिकॉर्ड है।

र्ग–डी–4 भू प्रबन्ध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2018

र्ग–डी–5 मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2051–2070

र्ग–जमाबन्दी सम्बत 2066–69 मे ख0न0 2411, 2412 ख0न0 1503 आदेश दुरूस्ती वेवा के स्थान धर्मपत्नि का नोट तथा धप्पो वेवा भौरेलाल जाति महाजन 1 जगदीश प्रसाद व सीताराम जाति जन हर तीन समान भाग सा0 देह दर्ज है।

की सं0 4 भी विरूद्ध वादीगण प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णीत की जाती है विवादित आराजी का लूराम तन्हा काश्तकार रहा है।

की सं0 5 आया वादी दिनांक 15 अक्टूबर 1955 से 2012 मे विवादित आराजी पर काबिज नही था क वादी गैर काबिज है आराजी पर भोरेलाल महाजन काश्त करता चला आ रहा है एवं प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

ीलाल द्वारा आराजी 21.12.1972 को क्रय कर ली गई व रामजीलाल (प्रतिवादी) विवादित
ती पर बदस्तूर काबिज काश्तकार है।

—प्रतिवादी

सं० 1, 2, 3, 4, वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की चुकी है तनकी सं० 5
सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है प्रदर्श–डी 1, डी 2, डी 3, डी 4, डी, 5 के साक्ष्य
ादीगण के पक्ष मे है यह तनकी भी विरूद्ध वादीगण निर्णीत की जाती है। वादीगण का स्वतन्त्र
ा का दावा अस्वीकार किया जाता है। तनकी अनुतोषउभय पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वंय
करें।

नकी सं० 1, 2, 3, 4, 5 विरूद्ध वादीगण प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित हो चुकी है। जिस कारण
का वाद प्रमाणित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

देवी सिंह
(R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

देवी सिंह
(R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी ,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री नवज्योति कंवरिया (R.A.S)

दावा संख्या
1/522

दायर दिनांक
29.10.2020

निर्णय दिनांक
14.08.2024

उनवान

1. मु0 घप्पो बेवा भौरेलाल महाजन–मृतक
2. जगदीश प्रसाद पुत्र भौरेलाल महाजन निवासीयान ग्राम बीजवाड नरूका तहसील व जिला अलवर।
3. सीताराम पुत्र भौरेलाल।
4. मु0 कमला पुत्री भौरेलाल जाति महाजन निवासी ग्राम रैणी तहसील राजगढ जिला अलवर।
5. मु0 अंगूरी पुत्री भौरेलाल महाजन निवासी केडलगंज अलवर राज0।

वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र मनोहर लाल महाजन निवासी ग्राम बीजवाड तहसील अलवर।

प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पर्चा डिक्री

तनकी सं0 1, 2, 3, 4, वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की चुकी है तनकी 5 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है प्रदर्श–डी 1, डी 2, डी 3, डी 4, डी, 5 के साक्ष्य वादीगण के पक्ष मे है यह तनकी भी विरूद्ध वादीगण निर्णीत की जाती है। वादीगण का स्वतन्त्र घोषणा दावा अस्वीकार किया जाता है। तनकी अनुतोष उभय पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वंय वहन करें। की सं0 1, 2, 3, 4, 5 विरूद्ध वादीगण प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित हो चुकी है। जिस कारण वादी का प्रमाणित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

यह पर्चा डिक्री आंज दिनांक 06.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर जारी की गई।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0